



UPKU100017192020

न्यायालय-प्रथम अति० सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, कसया-कुशीनगर।

पीठासीन अधिकारी-(SARVESH KUMAR PANDEY),(उ० प्र० न्यायिक सेवा)UP04748

दाण्डिक वाद सं०-938/2020

सरकार

बनाम

हरेन्द्र आदि।

एन०सी०आर०सं०-06/2009

धारा-323,504,506,427 भा०द०सं०।

थाना-बरवापट्टी, जिला-कुशीनगर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त राजवंशी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रस्तुत दाण्डिक वाद सं०-938/2020, एन०सी०आर०सं०-06/2009, अन्तर्गत धारा-323,504,506,427 भा०द०सं०, थाना-बरवापट्टी, जिला-कुशीनगर के अभियोग में अभियुक्त राजवंशी द्वारा अदालत में स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जुर्म संस्वीकृति के आधार पर मुकदमा निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त हरेन्द्र की दौरान मुकदमा मृत्यु हो चुकी है एवं अभियुक्त अकलू के मुकदमे का निस्तारण दिनांक 20.05.2025 को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जा चुका है।

अभियुक्त से न्यायालय द्वारा पूछने पर कहा गया कि वह बिना किसी दबाव के स्वेच्छया संस्वीकृति कर रहा है। न्यायालय द्वारा चेतावनी दी गयी कि उसे जुर्म संस्वीकृति के आधार पर सजा हो सकती है, किंतु इसके बावजूद भी अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया संस्वीकृति की गयी।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त राजवंशी स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त राजवंशी की ओर से दाण्डिक वाद सं०-938/2020, एन०सी०आर०सं०-06/2009, अन्तर्गत धारा- 323,504,506,427 भा०द०सं०, जिला-कुशीनगर के अभियोग में की संस्वीकृति के आधार पर अन्तर्गत धारा- 323,504,506,427 भा०द०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पुनः प्रस्तुत हो।

दिनांक- 17.07.2026

प्रथम अति०सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,

कसया, कुशीनगर।

लंच बाद- दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त स्वयं एवं अभियोजन अधिकारी उपस्थित हैं।

अभियुक्त का कथन है कि सह अभियुक्तगण हाजिर अदालत आकर अपना मुकदमा समाप्त करा लिए हैं। प्रार्थी भी अपना जुर्म स्वीकार करते हैं। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रार्थी का भी मुकदमा समाप्त किया जाना न्यायसंगत है। अभियुक्त द्वारा न्यूनतम दण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी जबकि अभियोजन द्वारा अधिक दण्ड दिये जाने की याचना की गयी। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया जा रहा है।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात् मेरी राय है कि प्रस्तुत प्रकरण सन् 2009 का है जो लगभग 17 वर्ष पुराना है। जिसमें दोषसिद्ध अभियुक्त राजवंशी गरीब व्यक्ति है तथा मामला 17 वर्ष पुराना है।

दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमे का निस्तारण करना चाहता है। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति एवं कम से कम अर्थदण्ड के आधार पर मुकदमे का निस्तारण करने की याचना की गयी है। अभियुक्त काफी गरीब व मजदूर व्यक्ति है तथा मुकदमा लड़ने में अक्षम है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है।

आदेश

अभियुक्त **राजवंशी** की ओर से दाण्डिक वाद सं०-938/2020, एन०सी०आर०सं०-06/2009, अन्तर्गत धारा-323,504,506,427 भा०द०सं०, थाना-बरवापट्टी, जिला-कुशीनगर के अभियोग में मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त को धारा-323 भा०द०सं० के अपराध में मु०-500/-रुपये के अर्थदण्ड से, धारा-504 भा०द०सं० के अपराध में मु०-500/-रुपये के अर्थदण्ड से, धारा-506 भा०द०सं० के अपराध में मु०-500/-रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा-427 भा०द०सं० के अपराध में मु०-500/-रुपये के अर्थदण्ड से तथा न्यायालय के उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त के अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 4 दिन का साधारण कारावास भुगतेगा। इस आदेश के अधीन जमानत एवं बंधपत्र को निरस्त करते हुए जमानदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-17.07.2026

प्रथम अति० सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,

कसया, कुशीनगर।

यह निर्णय/आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक-17.07.2026

प्रथम अति० सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,

कसया, कुशीनगर।